इलाहाबाद।

समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प/उपायुक्त स्टाम्प,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 6802 स्टाम्प विविध-146 /2016 दिनांक - 11.11.2016

विषय स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग अनुभाग-2, उ०प्र० शासन, द्वारा निर्गत अधिसूचना सं०-25/2016/888/94-स्टा०नि०-2-2016-500(64)/80, दिनांक 11-11-2016 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग अनुभाग-2, उ०प्र० शासन, द्वारा निर्गत अधिसूचना सं०-25/2016/888/94-स्टा०नि०-2-2016-500(64)/80, दिनांक 11-11-2016 जिसके द्वारा अधिसूचना सं०-445/क०नि०/11-7-2013-500(64)/80, दिनांक 17-05-2013 का अधिक्रमण करते हुए, अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से, कतिपय प्रतिबन्धों सहित, भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में एवं शहीद सैनिकों के विधिक आश्रितों एवं अर्ध-सैनिक बलों तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीदों के विधिक आश्रितों के पक्ष मे निष्पादित हस्तान्तरण विलेखों पर अनुसूची-1 ख के अनुच्छेद-23के खण्ड(क) के अधीन तथा पट्टा के लिखतों पर अनुसूची-1ख के अनुच्छेद-35 के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की गयी है, की प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग अनुभाग-2, उ०प्र० शासन, द्वारा निर्गत उक्त अधिसूचना दिनांक 11-11-2016 का प्रचार-प्रसार अपने जनपद के समस्त अधीनस्थों को कराते हुए इसका तत्काल अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

<u>संलग्नक-यथोपरि।</u>

भवदीय,

(अशोक कुमार दुबे)
उपायुक्त स्टाम्प

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

<u>आदेश</u>

[illegible] पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रयुक्ति के संबंध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या-445/ क०नि०/ 11-7-2013-500(64)-80, दिनांक 17-05-2013 का अधिक्रमण करते हुए इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में एवं शहीद सैनिकों के विधिक आश्रितों एवं अर्द्ध सैनिक बलों तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीदों के विधिक आश्रितों के पक्ष में निष्पादित हस्तांतरण लिखतों पर अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन तथा पट्टा के लिखतों पर अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 35 के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करते हैं। यह छूट सम्पत्ति के प्रथम रू० 20 लाख तक के मूल्यांकन पर उपलब्ध होगी। सम्पत्ति का मूल्यांकन रू० 20 लाख से अधिक होने की दशा में प्रथम रू० 20 लाख से अधिक के मूल्यांकन की राशि पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा।

प्रतिबंध यह है कि:-

(1) भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों, अर्द्धसैनिक बलों एवं केन्द्रीय सशस्त्र बलों के शहीदों में से प्रत्येक के विधिक आश्रितों में से किसी एक आश्रित, जिसके लिए उसके अन्य आश्रितों की सहमति हो, को ही यह छूट अनुमन्य होगी।

(2) यह छूट, पात्रता की दशा में उपर्युक्त का एक ही बार अनुमन्य होगी।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।